



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 362 राँची, गुरुवार, 16 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
6 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2024

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2021 का.- 2674--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में **श्री रवि रंजन**, निबंधक (निगरानी) झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2021 का०-2675--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, **श्री संजय प्रताप**, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ को अगले आदेश तक तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, देवघर (प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद0-01/2021 का0 2676--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, **श्री सैयद सलीम फातमी**, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद0-01/2021 का०- 2677--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा आलोक में, **श्री अजीत कुमार सिंह**, वरीय विधि परामर्शी-सह-अपर सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/वरीय स्था० पद0-01/2021 का०- 2678--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, **श्री अमितेश लाल**, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद0-01/2021 का०- 2679--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, **श्री अरविन्द कुमार न०-1**, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, देवघर को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद0-01/2021 का०- 2680--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा आलोक में, **श्री राजकमल मिश्रा**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
